रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1976/ज्येष्ठ 21, 1898
No. 274] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1976/JYAISTHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Textile Commissioner)

NOTIFICATION

Bombay, the 9th June 1976

S.O. 413(E).—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/3/69 dated the 19th September, 1969, namely:—

In the said Notification—

I. In paragraph I in Sub-paragraph (2):

(i) Items (f), (l) shall be deleted;

(ii) For item (e) and (m) the following items shall be substituted, namely:—

"(e) Cloth which is produced by a producer having no spinning plant and which is not subject to further processing by a processor".

"(m) Cut pieces of cloth not exceeding 22.86 cms in length except that contained in item (a) of Clause (4) of Paragraph VI below".

II. In paragraph II the second proviso below Sub-paragraph (3) shall be deleted.

III. After paragraph III the following paragraphs shall be inserted, namely:—

"IIIA. On each piece of non-controlled cloth other than dhoti or saree or bed sheet, handkerchief, pillow cases, napkins and towels etc. which are sold in specified lengths, in addition to the markings to be made in accordance with this notification, the following markings shall be made, namely:—

(i) On the face plait, immediately below the markings made in accordance with this notification, the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER METRE" and the amount of maximum retail price per metre in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND LOCAL TAXES".

(ii) On every metre at a height not exceeding 2.54 centimetres from the selvedge, the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER METRE" and the amount of the maximum retail price per metre in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND LOCAL TAXES".

IIIB. On non-controlled dhoti or non-controlled saree, handkerchief, pillow case, napkin, towel etc. which are sold in specified lengths, in addition to the markings to be made in accordance with this notification, the following markings shall be made, namely:—

(i) On the face plait, immediately below the markings made in accordance with this notification, when packed in pairs the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER PAIR" and the amount of maximum retail price per pair in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND LOCAL TAXES" and on the other end of the second piece when sold in pairs, not exceeding 2.54 centimeters from the selvedge the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER PAIR" and the amount of the maximum retail price per pair in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND LOCAL TAXES".

(ii) On the face plait immediately below the markings made in accordance with this notification, when packed in singles the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER PIECE" and the ammount of the maximum retail price per piece in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND LOCAL TAXES".

IIIC. In the case of seconds, fents and rags of cloth as defined in paragraph VI (4) below and which is the subject matter of paragraph IIIA and IIIB above, the words, "SECONDS, FENTS AND RAGS" as the case may be and in addition to the maximum retail price already stamped thereon, the maximum retail price inclusive of excise duty and local taxes at which the manufacturer desires to sell such cloth shall be stamped in the manner prescribed in the said paragraph IIIA and IIIB.

IIID. Cloth which is produced by the producer having no spinning plant and which is further processed by a processor shall be stamped with the maximum retail price in the manner indicated in Paragraphs IIIA, IIIB and IIIC above.

NOTE.—(1) For the purpose of the above paragraphs the expression "MAXIMUM RETAIL PRICE" shall mean the retail price per piece or per pair of dhoti or saree or bed sheet, handkerchief, pillow case, napkin, towel as the case may be, or the price per metre in the case of cloth other than dhoti or saree or bed sheet, handkerchief, pillow case, napkin, towel and which is sold in specified lengths, as the case may be, inclusive of excise duty payable thereon and local taxes, if any, payable.

(2) The markings as required to be made in accordance with Paragraph IIIA, and IIID shall be stamped by the manufacturer as follows:—

(i) On every alternate metre of the piece of cloth for a period beginning from 1-7-1976 and ending on 31-10-1976,

(ii) On every metre of the piece of cloth from 1-11-1976 and thereafter.

(3) The markings as required to be made in accordance with Paragraph IIIB shall be stamped by the manufacturer with effect from 1-7-1976.

(4) The markings as required to be made in accordance with Paragraph IIIC shall be stamped by the manufacturer with effect from 1-7-1976.

(5) Nothing in paragraphs IIIA, IIIB, IIIC and IIID above shall apply to cloth delivered directly to the industry for industrial use.

IV. (i) In the Table below paragraph IV, in S. No. 3 for the figures and letter "35s" the figures and letter "41s" shall be substituted,

(ii) In S. No. 4 for the figures and letters "35s" "48s" the figures and letters "31s" and "61s" shall be substituted,

(iii) In S. No. 5 for the figures and letter "48s" the figures and letter "61s" shall be substituted.

V. In Sub-Paragraph (i) of Paragraph VIII after the words "in capital letters" the words "or in Hindi in Devanagiri Script" shall be inserted.

[No. CER/3/76]

G. S. BHARGAVA,

Joint Textile Commissioner.

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त कार्यालय)

अधिसूचना

बम्बई, 9 जून, 1976

का० आ० 413(अ).—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/3/69 दिनांक 19 सितम्बर, 1969 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में —

एक—पैराग्राफ एक के उप-पैराग्राफ (2) में—

(एक) मद (एफ) और (एल) निकाल दी जाएंगी ।

(दो) मद (ई) और (एम) के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(ई) कताई कारबाना न रखने वाले विनिर्माता द्वारा उत्पादित वस्त्र जो किसी प्रोसेसर द्वारा और प्रोसेसिंग नहीं किया जाने वाला हो ।"

"(एम) निम्नलिखित पैराग्राफ छः के खंड (4) की मद (ए) में उल्लिखित वस्त्र को छोड़कर अन्य वस्त्र के टुकड़े (कट पीसेस) जिनकी लम्बाई 22.86 सेंटीमीटर से अधिक न हो"

दो.—पैराग्राफ दो के उप-पैराग्राफ (3) के नीचे का दूसरा परन्तुक निकाल दिया जाएगा ।

तीन.—पैराग्राफ तीन के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"**तीन ए.**—धोती या साड़ी या बेडशीट, रूमाल, तकिये के गिलाफ, नेपकिन और तौलिये आदि जो विशिष्ट लम्बाइयों में ही बेचे जाते हैं, को छोड़कर अन्य अनियंत्रित वस्त्र के प्रत्येक टुकड़े पर, इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने वाले मार्किंग के अलावा निम्नलिखित मार्किंग भी किए जाएंगे, अर्थात् :—

(**एक**) मुख-पट्ट पर, इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने वाले मार्किंग के बिल्कुल नीचे ही "अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति मीटर" ये शब्द और अंकों में अधिकतम खुदरा मूल्य की राशि और "उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित" ये शब्द

(**दो**) प्रत्येक मीटर पर, किनारी से 2.54 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं, "अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति मीटर" ये शब्द और अंकों में अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति मीटर की राशि और "उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित" ये शब्द

तीन बी.—अनियंत्रित धोती या अनियंत्रित साड़ी या बेडशीट, रूमाल, तकिये के गिलाफ, नेपकिन, तौलिये आदि पर जो विशिष्ट लम्बाइयों में ही बेचे जाते हैं इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने वाले मार्किंग के अलावा निम्नलिखित मार्किंग भी किए जाएंगे, अर्थात् :—

(**एक**) जोड़ी के रूप में पैक होने पर, मुख-पट्ट पर इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने वाले मार्किंग के बिल्कुल नीचे ही "अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति जोड़ी" ये शब्द और अंकों में अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति जोड़ी की राशि और "उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित" ये शब्द तथा जोड़ी के रूप में बिक्री होने पर दूसरे टुकड़े के छोर पर किनारी से 2.54 सैंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं, "अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति जोड़ी" ये शब्द और अंकों में अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति जोड़ी की राशि और "उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित" ये शब्द

(**दो**) सिंगल (एक टुकड़ा) रूप में पेक होने पर, मुख-पट्ट पर इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने वाले मार्किंग के बिल्कुल नीचे ही "अधिकतम मूल्य प्रति टुकड़ा" ये शब्द और अंकों में अधिकतम मूल्य प्रति टुकड़ों की राशि और "उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित" ये शब्द

तीन सी.—वस्त्र के सेकंड्स, फैंट्स और रेग्ज, जिनकी परिभाषा निम्नलिखित पैराग्राफ छः (चार) में दी गई है तथा जो उपर्युक्त पैराग्राफ तीन ए और तीन बी का वर्ण्य विषय है, की दशा में "सेकंड्स फैंट्स और रेग्ज" ये शब्द जो भी लागू हो और पहले ही लगी अधिकतम खुदरा मूल्य की मोहर के अलावा विनिर्माता उत्पाद-शुल्क और स्थानिक-कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य जिस पर वह इस वस्त्र को बेचना चाहे कि मोहर उक्त पैराग्राफ तीन ए और तीन बी में निर्धारित विधि से लगाएगा।

तीन डी.—कताई कारखाना न रखने वाले विनिर्माता द्वारा उत्पादित वस्त्र जो किसी प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया गया हो तो उस वस्त्र पर उपर्युक्त पैराग्राफ तीन ए, तीन बी और तीन सी में निर्धारित विधि से अधिकतम खुदरा मूल्य की मोहर लगाई जाएगी ।

टिप्पणी (1).—उपर्युक्त पैराग्राफ के निमित्त "अधिकतम खुदरा मूल्य" इस उक्ति का अर्थ धोती या साड़ी या बेडशीट, रूमाल, तकिये का गिलाफ, नेपकिन, तौलिये की दशा में उनके प्रत्येक पत्ते या जोड़ी का खुदरा मूल्य और धोती या साड़ी या बेडशीट, रूमाल, तकिये का गिलाफ, नेपकिन, तौलिये जो विशिष्ट लम्बाइयों में ही बेचे जाते हैं, को छोड़कर अन्य वस्त्र की दशा में उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क और स्थानिक कर, यदि कोई हो, सहित प्रति मीटर मूल्य है ।

(2) पैराग्राफ तीन ए और तीन डी के अनुसरण में विहित मार्किंग की विनिर्माता द्वारा निम्नोक्त रूप में मोहर लगाई जाएगी :

(एक) 1-7-76 से आरम्भ होकर 31-10-76 को समाप्त होने वाली अवधि में वस्त्र के टुकड़े के हर दूसरे मीटर पर ।

(दो) 1-11-76 से वस्त्र के टुकड़े के प्रत्येक मीटर पर ।

(3) पैराग्राफ तीन बी के अनुसरण में विहित मार्किंग की मोहर विनिर्माता द्वारा 1-7-76 से लगाई जाएगी ।

(4) पैराग्राफ तीन सी के अनुसरण में विहित मार्किंग की मोहर विनिर्माता द्वारा 1-7-76 से लगाई जाएगी ।

(5) उपर्युक्त पैराग्राफ तीन ए, तीन बी, तीन सी और तीन डी औद्योगिक उपयोग के लिये उद्योग को सीधे ही प्रदत्त वस्त्र पर लागू नहीं होंगे ।

चार.—(एक) पैराग्राफ चार के नीचे की सारिणी की क्रमसंख्या 3 में "35s" इन अंकों और शब्दों के स्थान पर "41s" ये अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(दो) क्रमसंख्या 4 में "35[8]" और "48[8]" इन अंकों और शब्द के स्थान पर "31[8]" और "61[8]" ये अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(तीन) क्रमसंख्या 5 में "48[8]" इन अंकों और शब्द के स्थान पर "61[8]" ये अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायगे ।

पांच.—पैराग्राफ आठ के उप-पैराग्राफ (एक) में "कैपिटल लेटर्स में" इन शब्दों के बाद "या हिन्दी देवनागरी लिपि में" ये शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० सी० ई० आर०/3/76]

गौरी शंकर भार्गव,

संयुक्त वस्त्र आयुक्त ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976